

Ref No- TGPL/CGD/GA83/MBD/2021/ 295
Date: 01.11.2021

सेवा में

 प्रभागीय वनाधिकारी,
 सम्भल वन प्रभाग,
 सम्भल।

विषय:- जनपद सम्भल में टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद-चन्दौसी मार्ग (एन0 एच0-509) कि0 मी0 चैनेज 34.100 से 41.150 कि0मी0 तक बांयी पटरी एवं कि0मी0 चैनेज 45.600 से 45.750 कि0मी0 तक दांयी पटरी पर 6" Ø स्टील गैस पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु 0.4323 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।
 (प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Pipeline/122517/2021)

सन्दर्भ:-सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग - 2 लखनऊ की पत्र संख्या पी-162/81-2-2021-800(141)/2021 दिनांक 24.08.2021 एवं आपका पत्रांक 512/14-1(कैम्प चन्दौसी) दिनांक 09.09.2021।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग - 2 लखनऊ की पत्र संख्या पी-162/81-2-2021-800(141)/2021 दिनांक 24.08.2021 का अवलोकन करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ के उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 24.08.2021 द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। जिसके क्रम में आपके कार्यालय के उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों के अनुपालन हेतु लिखा गया है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या व प्रमाण-पत्रों की 05-05 प्रतियां मूल में संस्तुति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया तदनुसार अपने स्तर से उच्च स्तर को प्रेषित करने का कष्ट करें-

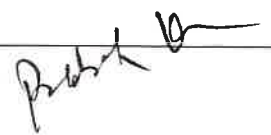
Sl. No.	Condition	Status of Compliance
1	सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।	वचनबद्धता प्रमाण-पत्र की 05 प्रतियां मूल में संलग्न हैं। (संलग्नक-1)
2	सी0एन0जी0/पी0एन0जी0 पाइपलाइन/मार्गों/सड़को/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे-किनारे ही बिछाये जायेंगे।	वचनबद्धता प्रमाण-पत्र की 05 प्रतियां मूल में संलग्न हैं। (संलग्नक-2)
3	सी0एन0जी0/पी0एन0जी0 पाइप लाइन हेतु खोदी गयी ट्रेन्च की साइज की गहराई 2.00 मीटर और चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक न होगी।	वचनबद्धता प्रमाण-पत्र की 05 प्रतियां मूल में संलग्न हैं। (संलग्नक-3)
4	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।	वचनबद्धता प्रमाण-पत्र की 05 प्रतियां मूल में संलग्न हैं। (संलग्नक-4)
5	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।	वचनबद्धता प्रमाण-पत्र की 05 प्रतियां मूल में संलग्न हैं। (संलग्नक-5)

TORRENT GAS PRIVATE LIMITED

CIN: U40100GJ2018PTC102554

Regd. Office: "Samanvay", 600, Tapovan, Ambawadi, Ahmedabad - 380 015, Gujarat, India. Phone: +91 079 26628300

 प्राप्त
 3/11/2021



6	वनभूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।	वचनबद्धता प्रमाण-पत्र की 05 प्रतियां मूल में संलग्न हैं। (संलग्नक-6)
7	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।	वचनबद्धता प्रमाण-पत्र की 05 प्रतियां मूल में संलग्न हैं। (संलग्नक-7)
8	भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा।	वचनबद्धता प्रमाण-पत्र की 05 प्रतियां मूल में संलग्न हैं। (संलग्नक-8)
9	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक-05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority). में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।	वचनबद्धता प्रमाण-पत्र की 05 प्रतियां मूल में संलग्न हैं। (संलग्नक-9)
10	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।	वचनबद्धता प्रमाण-पत्र की 05 प्रतियां मूल में संलग्न हैं। (संलग्नक-10)
11	प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।	वचनबद्धता प्रमाण-पत्र की 05 प्रतियां मूल में संलग्न हैं। (संलग्नक-11)
12	भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफसी (पीटी), दिनांक-19.08.2010 तथा पत्र संख्या-J-11013/41/2006-IA-II(I) दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।	लागू नहीं है। (संलग्नक-12)
13	प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।	प्रमाण-पत्र की छाया प्रति संलग्न है। (संलग्नक-13)
14	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक-08.07.2011 में दिये गये	वचनबद्धता प्रमाण-पत्र की 05 प्रतियां मूल में संलग्न हैं। (संलग्नक-14)

TORRENT GAS PRIVATE LIMITED

CIN: U40100GJ2018PTC102554

Regd. Office: "Samanvay", 600, Tapovan, Ambawadi, Ahmedabad - 380 015, Gujarat, India. Phone: +91 079 26628300

Prabhu

	दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया।	
15	यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।	लागू नहीं है। (संलग्नक-15)
16	समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	वचनबद्धता प्रमाण-पत्र की 05 प्रतियां मूल में संलग्न हैं। (संलग्नक-16)
17	<u>परियोजना में 06 इंच गैस पाइप लाइन बिछाया जाना प्रस्तावित है। अतएव प्रस्तावक द्वारा वन विभाग के पक्ष में एन0पी0वी0 का भुगतान किया जायेगा।</u>	शर्त संख्या 17 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रभावित वन भूमि 0.4323 हे0 का एन0पी0वी0 रु0 270620/-का भुगतान ई-चालान संख्या 72122517504 दिनांक 25.10.2021 UTR NO. BARBD21303300618 दिनांक 30.10.2021 के माध्यम से सिधे Union Bank of India Lodhi Complex Branch Block 11 CGO Complex, Phase-I Lodhi Road New Delhi-110003, Account No. 1509072122517501, IFSC Code UBIN09037110 में जमा कि जा चुकी हैं। ई-चालान की छाया प्रति संलग्न (संलग्नक-17)
18	राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01.2011 (प्रति संलग्न) में अंकित 02 बिन्दुओं में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन से आच्छादित बिन्दु का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा जो इस प्रकार हैं— (1)सी0एन0जी0/गैस पाइप लाइन बिछाने वाली ऐसी कम्पनियां जो लगातार गैस पाइप लाइन बिछाती है तथा उसका क्षेत्र केवल एक शहर न होकर अंतर्गहरीय शहर से ग्रामीण अंतर्जिला तथा एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश होता है उस कंपनी से पूर्व की भांति प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने की शर्त यथावत लागू रहेगी। (2)ऐसी कम्पनियों जो लगातार गैस पाइप लाइन के द्वारा केवल शहर में गैस आपूर्ति हेतु गैस पाइप लाइन बिछाती है अर्थात् जिसका दायरा एक शहर होता है उस कंपनी को भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति में वर्णित क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अंतर्गत सामान्यतया दुगने अवनत वन या समतुल्य गैर वनभूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 05 वर्ष तक रखरखाव के लिये राज्य सरकार के द्वारा जारी शासनादेश में भारत सरकार की शर्तों के अतिरिक्त नवीन	वचनबद्धता प्रमाण-पत्र की 05 प्रतियां मूल में संलग्न हैं। (संलग्नक-18) शर्त संख्या 18 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 20 किमी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण हेतु आवश्यक धनराशी रु. 8241000 मात्र दिनांक 22.10.2021 को कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी समभल वन प्रभाग समभल में जमा करायी जा चुकी हैं। प्रमाण पत्र संलग्न. (संलग्नक-18)

Basu

TORRENT GAS PRIVATE LIMITED

CIN: U40100GJ2018PTC102554

Regd. Office: "Samanvay", 600, Tapovan, Ambawadi, Ahmedabad – 380 015, Gujarat, India. Phone: +91 079 26628300

	शर्त के रूप में उल्लेख किया जायेगा। इस धनराशि को प्रथमतया शहरी वृक्षारोपण में व्यय किया जायेगा।	
19	उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा। (1) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि सैद्धान्तिक स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के पास गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु वैध व अधिकृत लाईसेन्स हो तथा इस कार्य कि लिये उन्हें सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त हो। उक्त शर्तों के अनुपालन के पश्चात् ही विधिवत् स्वीकृति प्रदान किया जायेगा। प्रश्नगत आदेश मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।	वचनबद्धता प्रमाण-पत्र की 05 प्रतियां मूल में संलग्न हैं। (संलग्नक-19)
	CA amount as per proposal	N.A.
	CA amount deposited	-
	Difference in amount	-
	Reason for difference	-
	NPV amount as per proposal	270620.00
	NPV amount deposited	270620.00
	Difference in amount	-
	Reason for difference	-
	Any other amount deposited (Complete details be provided) 20 Km. Row Plantation in three rows	8241000.00
	CAMPA Confirmation	UTR NO. BARBD21303300618

अतः उपरोक्तानुसार सभी शर्तों की अनुपालन आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि इस प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति निर्गत कराने हेतु अग्रेसर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

 (प्रभाष कुमार)
 प्रबन्धक
 टोरेन्ट गैस प्राईवेट लिमिटेड,
 मुरादाबाद

TORRENT GAS PRIVATE LIMITED

CIN: U40100GJ2018PTC02554

Regd. Office: "Samanvay", 600, Tapovan, Ambawadi, Ahmedabad - 380 015, Gujarat, India. Phone: +91 079 26628300

(संलग्नक-1)

वचनबद्धता

विषय:- जनपद सम्मल में टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद-चन्दौसी मार्ग (एन0 एच0-509) कि0 मी0 चैनेज 34.100 से 41.150 कि0मी0 तक बांयी पटरी एवं कि0मी0 चैनेज 45.600 से 45.750 कि0मी0 तक दांयी पटरी पर 6" Ø स्टील गैस पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु 0.4323 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Pipeline/122517/2021)

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ की पत्र संख्या पी-162/81-2-2021-800(141)/2021 दिनांक 24.08.2021 के माध्यम से निर्गत की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-1 के अनुपलान में प्रयोक्ता अभिकरण (टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड, मुरादाबाद) द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।


(प्रभाष कुमार)
प्रबन्धक,
टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड,
मुरादाबाद।**TORRENT GAS PRIVATE LIMITED**

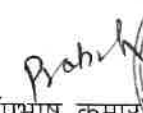
CIN: U40100GJ2018PTC02554

Regd. Office: "Samanvay", 600, Tapovan, Ambawadi, Ahmedabad - 380 015, Gujarat, India. Phone: +91 079 26628300

वचनबद्धता

विषय:- जनपद सम्मेलन में टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद-चन्द्रौसी मार्ग (एन0 एच0-509) कि0 मी0 चैनेज 34.100 से 41.150 कि0मी0 तक बांयी पटरी एवं कि0मी0 चैनेज 45.600 से 45.750 कि0मी0 तक दांयी पटरी पर 6" Ø स्टील गैस पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु 0.4323 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Pipeline/122517/2021)

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग- 2 लखनऊ की पत्र संख्या पी-162/81-2-2021-800(141)/2021 दिनांक 24.08.2021 के माध्यम से निर्गत की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-2 के अनुपलान में प्रयोक्ता अभिकरण (टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड, मुरादाबाद) द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि सी0एन0जी0/पी0एन0जी0 पाइपलाइन/मार्गों/सड़को/ वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे-किनारे ही बिछाये जायेंगे।


(प्रभाष कुमार)
प्रबन्धक,
टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड,
मुरादाबाद।



(संलग्नक-3)

वचनबद्धता

विषय:- जनपद सम्भल में टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद-चन्दौसी मार्ग (एन0 एच0-509) कि0 मी0 चैनेज 34.100 से 41.150 कि0मी0 तक बांयी पटरी एवं कि0मी0 चैनेज 45.600 से 45.750 कि0मी0 तक दांयी पटरी पर 6" Ø स्टील गैस पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु 0.4323 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Pipeline/122517/2021)

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग- 2 लखनऊ की पत्र संख्या पी-162/81-2-2021-800(141)/2021 दिनांक 24.08.2021 के माध्यम से निर्गत की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-3 के अनुपलान में प्रयोक्ता अभिकरण (टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड, मुरादाबाद) द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि सी0एन0जी0/पी0एन0जी0 पाइप लाइन हेतु खोदी गयी ट्रेन्च की साइज की गहराई 2.00 मीटर और चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक न होगी।


(प्रभाष कुमार)
प्रबन्धक,
टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड,
मुरादाबाद।

**TORRENT GAS PRIVATE LIMITED**

CIN: U40100GJ2018PTC102554

Regd. Office: "Samanvay", 600, Tapovan, Ambawadi, Ahmedabad - 380 015, Gujarat, India. Phone: +91 079 26628300

वचनबद्धता

विषय:- जनपद सम्मेल में टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद-चन्दौसी मार्ग (एन0 एच0-509) कि0 मी0 चैनैज 34.100 से 41.150 कि0मी0 तक बांयी पटरी एवं कि0मी0 चैनैज 45.600 से 45.750 कि0मी0 तक दांयी पटरी पर 6" Ø स्टील गैस पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु 0.4323 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Pipeline/122517/2021)

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग - 2 लखनऊ की पत्र संख्या पी-162/81-2-2021-800(141)/2021 दिनांक 24.08.2021 के माध्यम से निर्गत की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-4 के अनुपलान में प्रयोक्ता अभिकरण (टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड, मुरादाबाद) द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।


(प्रभाष कुमार)
प्रबन्धक,
टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड,
मुरादाबाद।

(संलग्नक-5)

वचनबद्धता

विषय.- जनपद सम्मल में टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद-चन्दौसी मार्ग (एन0 एच0-509) कि० मी० चैनोज 34.100 से 41.150 कि०मी० तक बांयी पटरी एवं कि०मी० चैनोज 45.600 से 45.750 कि०मी० तक दांयी पटरी पर 6" Ø स्टील गैस पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु 0.4323 हे० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Pipeline/122517/2021)

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग - 2 लखनऊ की पत्र संख्या पी-162/81-2-2021-800(141)/2021 दिनांक 24.08.2021 के माध्यम से निर्गत की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-5 के अनुपलान में प्रयोक्ता अभिकरण (टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड, मुरादाबाद) द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।



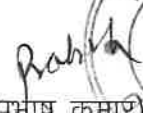
(प्रभाष कुमार)

प्रबन्धक,
टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड,
मुरादाबाद।

वचनबद्धता

विषय:- जनपद सम्मेल में टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद-चन्द्रौसी मार्ग (एन0 एच0-509) कि0 मी0 चैनेज 34.100 से 41.150 कि0मी0 तक बांयी पटरी एवं कि0मी0 चैनेज 45.600 से 45.750 कि0मी0 तक दांयी पटरी पर 6" Ø स्टील गैस पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु 0.4323 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Pipeline/122517/2021)

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग - 2 लखनऊ की पत्र संख्या पी-162/81-2-2021-800(141)/2021 दिनांक 24.08.2021 के माध्यम से निर्गत की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-6 के अनुपलान में प्रयोक्ता अभिकरण (टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड, मुरादाबाद) द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि वनभूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।


(प्रभाष कुमार)

प्रबन्धक,
टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड,
मुरादाबाद।

(संलग्नक-7)

वचनबद्धता

विषय:- जनपद सम्भल में टोरेन्ट गैस प्राईवेट लिमिटेड, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद-चन्दौसी मार्ग (एन0 एच0-509) कि0 मी0 चैनैज 34.100 से 41.150 कि0मी0 तक बांयी पटरी एवं कि0मी0 चैनैज 45.600 से 45.750 कि0मी0 तक दांयी पटरी पर 6" Ø स्टील गैस पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु 0.4323 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Pipeline/122517/2021)

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग - 2 लखनऊ की पत्र संख्या पी-162/81-2-2021-800(141)/2021 दिनांक 24.08.2021 के माध्यम से निर्गत की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-6 के अनुपलान में प्रयोक्ता अभिकरण (टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लिमिटेड) द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।


(प्रभाष कुमार)
प्रबन्धक,
टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लिमिटेड,
मुरादाबाद।

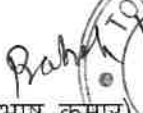


(संलग्नक-8)

वचनबद्धता

विषय:- जनपद सम्भल में टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद-चन्दौसी मार्ग (एन0 एच0-509) कि० मी० चैनेज 34.100 से 41.150 कि०मी० तक बांयी पटरी एवं कि०मी० चैनेज 45.600 से 45.750 कि०मी० तक दांयी पटरी पर 6" Ø स्टील गैस पाइप लाईन बिछाये जाने हेतु 0.4323 हे० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Pipeline/122517/2021)

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग - 2 लखनऊ की पत्र संख्या पी-162/81-2-2021-800(141)/2021 दिनांक 24.08.2021 के माध्यम से निर्गत की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-8 के अनुपलान में प्रयोक्ता अभिकरण (टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड, मुरादाबाद) द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि भूमि का सरफेस राइट्स(Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भाँति यथावत् बना रहेगा।

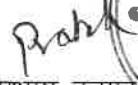

(प्रभाष कुमार)
प्रबन्धक,
टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड,
मुरादाबाद।



वचनबद्धता

विषय:- जनपद सम्मेल में टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद-चन्दौसी मार्ग (एन0 एच0-509) कि0 मी0 चैनेज 34.100 से 41.150 कि0मी0 तक बांयी पटरी एवं कि0मी0 चैनेज 45.600 से 45.750 कि0मी0 तक दांयी पटरी पर 6" Ø स्टील गैस पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु 0.4323 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Pipeline/122517/2021)

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग - 2 लखनऊ की पत्र संख्या पी-162/81-2-2021-800(141)/2021 दिनांक 24.08.2021 के माध्यम से निर्गत की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-9 के अनुपलान में प्रयोक्ता अभिकरण (टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड, मुरादाबाद) द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक-05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 घनराशि रू0 270620.00(रू0 दो लाख सत्तर हजार छः सौ बीस मात्र), क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority). में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।


(प्रभाष कुमार)
प्रबन्धक,
टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड,
मुरादाबाद।

वचनबद्धता

विषय:- जनपद सम्भल में टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद-चन्दौसी मार्ग (एन0 एच0-509) कि0 मी0 चैनेज 34.100 से 41.150 कि0मी0 तक बांयी पटरी एवं कि0मी0 चैनेज 45.600 से 45.750 कि0मी0 तक दांयी पटरी पर 6" Ø स्टील गैस पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु 0.4323 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Pipeline/122517/2021)

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग - 2 लखनऊ की पत्र संख्या पी-162/81-2-2021-800(141)/2021 दिनांक 24.08.2021 के माध्यम से निर्गत की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-10 के अनुपलान में प्रयोक्ता अभिकरण (टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड, मुरादाबाद) द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।


(प्रभाष कुमार),
प्रबन्धक,
टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड,
मुरादाबाद।

वचनबद्धता

विषय:- जनपद सम्भल में टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद-चन्दौसी मार्ग (एन0 एच0-509) कि0 मी0 चैनेज 34.100 से 41.150 कि0मी0 तक बांयी पटरी एवं कि0मी0 चैनेज 45.600 से 45.750 कि0मी0 तक दांयी पटरी पर 6" Ø स्टील गैस पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु 0.4323 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Pipeline/122517/2021)

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग - 2 लखनऊ की पत्र संख्या पी-162/81-2-2021-800(141)/2021 दिनांक 24.08.2021 के माध्यम से निर्गत की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-11 के अनुपलान में प्रयोक्ता अभिकरण (टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड, मुरादाबाद) द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाईसेंस हो तथा उसे सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त हो।


(प्रभाष कुमार)
प्रबन्धक,
टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड,
मुरादाबाद।





भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Government of India)

ए-54, आशियाना फेज-1 (निकट धाप का मन्दिर), कौठ रोड, मुरादाबाद - 244 001 (उ० प्र०)

A-54, Ashiana Phase-I (Near Dhap Mandir) Kanth Road, Moradabad - 244 001 (U.P.)

Tel. : 0591-2453070

Fax : 0591-2453071

email : mor@nhai.org



भारतमाला
प्रगति के पथ पर अग्रसर

14011/2/2020/Torrent Gas/NH-93/PIU-MBD/22948

Date: 28.09.2021

Mr. Kalpesh Pordar

Assistant General Manager

M/s Torrent Gas Pvt. Ltd.,

C/o Siti Energy Ltd., CNG Station

Village-Dhanupura, 14 KM Stone NH-24

Moradabad- 244001 (UP)

Sub:- Proposal for permission for laying proposed 6" ø Carbon Steel Pipeline along NH-509 (Old NH-93) from Ch. 17.000 to Ch 41.150 and from Ch. 41.150 to Ch. 45.750 and On Crossings at Ch. 45.600 to develop CGD Network in Moradabad District of Uttar Pradesh State.

- Ref:- (i) Your letter no. TGPL/ADMS/GA-83/2020-21/12/MB/160 dated 10.12.2020
(ii) Your letter no. TGML/CGD/GA83/MBD/2021/206 dated 08.03.2021
(iii) Your letter no. TGPL/GA883/2020-21/MB/230 dated 12.05.2021
(iv) This office letter no. 22729 dated 16.08.2021
(v) Your letter no. TGPL/CGD/GA-83/2021/MBD/281 dated 19.08.2021

Sir,

This is in reference to the letters under reference (i) to (v) on the above mentioned subject.

2. In this regard, the **NOC** is hereby granted upon compliances submitted vide your letter under reference (v) for execution of the said work strictly as per the condition laid down in the agreement and the above referred letter of this office under reference (iv).
3. Further, you have mentioned in your letter under reference (v) that "*Laying shall be done by open trench method. However, in restricted ROW/Crossing work shall be carried out through HDD method only.*" In this regard, it is intimated that as per the approval accorded by the Competent Authority, RO-West UP, NHAI, Lucknow wherein it has been mentioned that "*the permission is being given only thorough HDD method for executing the work*". Therefore the work of laying /crossing of Gas Pipeline should be done through **HDD Method Only**.
4. The copy of the signed agreement is enclosed herewith.

Encl: As above

Yours faithfully,

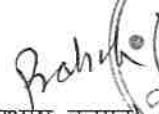
(Rakesh Kumar Sood)
GM (T) cum Project Director



वचनबद्धता

विषय:- जनपद सम्मल में टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद-चन्द्रौसी मार्ग (एन0 एच0-509) कि0 मी0 चैनेज 34.100 से 41.150 कि0मी0 तक बांयी पटरी एवं कि0मी0 चैनेज 45.600 से 45.750 कि0मी0 तक दांयी पटरी पर 6" Ø स्टील गैस पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु 0.4323 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Pipeline/122517/2021)

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग - 2 लखनऊ की पत्र संख्या पी-162/81-2-2021-800(141)/2021 दिनांक 24.08.2021 के माध्यम से निर्गत की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-12 के अनुपलान में प्रयोक्ता अभिकरण (टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड, मुरादाबाद) द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफसी (पीटी), दिनांक-19.08.2010 तथा पत्र संख्या-J-11013/41/2006-IA-II(I) दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।


(प्रभाष कुमार)
प्रबन्धक,
टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड,
मुरादाबाद।



वचनबद्धता

विषय:- जनपद सम्भल में टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद-चन्दौसी मार्ग (एन0 एच0-509) कि0 मी0 चैनेज 34.100 से 41.150 कि0मी0 तक बांयी पटरी एवं कि0मी0 चैनेज 45.600 से 45.750 कि0मी0 तक दांयी पटरी पर 6" Ø स्टील गैस पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु 0.4323 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Pipeline/122517/2021)

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग - 2 लखनऊ की पत्र संख्या पी-162/81-2-2021-800(141)/2021 दिनांक 24.08.2021 के माध्यम से निर्गत की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-13 के अनुपलान में प्रयोक्ता अभिकरण (टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड, मुरादाबाद) द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।


(प्रभाष कुमार),
प्रबन्धक,
टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड,
मुरादाबाद।



FORM-1

(for plantation on non-forest Land and notified as "protected forest" on or after 13th December 1930 and located in villages having no recorded Scheduled Tribe Population as per 2001 and 2011 census)

[Rule 6(3) (e) of Forest (Conservation) Rules 2003 as amended up to date]

Government of Uttar Pradesh
Office of the District Collector/Magistrate Sambhal

No. 3368

Dated: 30/06/2021

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Rule 6(3)(e) of the Forest (Conservation) Rules 2003 [as amended vide the Forest (Conservation) Amendment Rules 2014; Forest (Conservation) second Amendment Rules 2014, and Forest (Conservation) Amendment Rules 2016] it is certified that 0.4323 hectares of Protected forest land proposed to be diverted in favour of Torrent Gas Private Ltd. Moradabad "for laying of steel gas pipeline NH-509 Moradabad-Chandausi road between Km. Chainage No. 34.100 to 41.150 on Left side and Km. Chainage 45.600 to 45.750 on Right side in the State of Uttar Pradesh" in the District falls within jurisdiction of NHAI Moradabad village- Vjaypur to Maulagarh (Vijaypur, Akrauli, Rasulpur Kaili, Baniyakhera, Bhulawai, Gumthal, Maulagarh) in Chandausi tehsil having no recorded population of Scheduled Tribes as per Census of India 2001 and 2011. It is further certified that :

a) The Protected Forest(s) namely Moradabad-Chandausi Road involved in the above villages are plantations raised on non-forest land on or after 13th December, 1930 and were notified as PF vide notifications no(s)-1115/XIV-331-50 dated-10-02-1960.

b) Therefore, these PFs neither have residing Scheduled Tribes nor have other Traditional Forest Dwellers (residing in the PFs for more than 75 years) having rights recognized under Forest Rights Act, 2006.

Encl : As above.

13/10/6/2021
(Kanhaiya Patel)
Divisional Forest Officer,
Sambhal Forest Division
Sambhal Forest Division
(Chandausi), Sambhal

Sanjiv-
16/10/21
(Sanjiv Ranjan)
District Magistrate
District: Sambhal



वचनबद्धता

विषय:- जनपद सम्मेल में टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद-चन्दौसी मार्ग (एन0 एच0-509) कि0 मी0 चैनेज 34.100 से 41.150 कि0मी0 तक बांयी पटरी एवं कि0मी0 चैनेज 45.600 से 45.750 कि0मी0 तक दांयी पटरी पर 6" Ø स्टील गैस पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु 0.4323 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Pipeline/122517/2021)

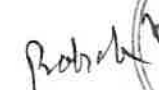
सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग - 2 लखनऊ की पत्र संख्या पी-162/81-2-2021-800(141)/2021 दिनांक 24.08.2021 के माध्यम से निर्गत की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-14 के अनुपलान में प्रयोक्ता अभिकरण (टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड, मुरादाबाद) द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक-08.07.2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया।


(प्रभाष कुमार)
प्रबन्धक,
टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड,
मुरादाबाद।

वचनबद्धता

विषय:- जनपद सम्मेल में टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद-चन्द्रौसी मार्ग (एन0 एच0-509) कि० मी० चैनेज 34.100 से 41.150 कि०मी० तक बांयी पटरी एवं कि०मी० चैनेज 45.800 से 45.750 कि०मी० तक दांयी पटरी पर 6" Ø स्टील गैस पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु 0.4323 हे० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Pipeline/122517/2021)

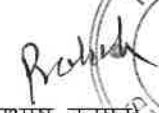
सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग - 2 लखनऊ की पत्र संख्या पी-162/81-2-2021-800(141)/2021 दिनांक 24.08.2021 के माध्यम से निर्गत की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-15 के अनुपलान में प्रयोक्ता अभिकरण (टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड, मुरादाबाद) द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा० उच्चतम् न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।


(प्रभाष कुमार),
प्रबन्धक,
टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड,
मुरादाबाद।

वचनबद्धता

विषय:- जनपद सम्मल में टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद-चन्दौसी मार्ग (एन0 एच0-509) कि0 मी0 चैनेज 34.100 से 41.150 कि0मी0 तक बांयी पटरी एवं कि0मी0 चैनेज 45.600 से 45.750 कि0मी0 तक दांयी पटरी पर 6" Ø स्टील गैस पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु 0.4323 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Pipeline/122517/2021)

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग - 2 लखनऊ की पत्र संख्या पी-162/81-2-2021-800(141)/2021 दिनांक 24.08.2021 के माध्यम से निर्गत की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-16 के अनुपलान में प्रयोक्ता अभिकरण (टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड, मुरादाबाद) द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।


(प्रभाष कुमार)
प्रबन्धक,
टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड,
मुरादाबाद।



वचनबद्धता

विषय:- जनपद सम्भल में टोरेन्ट गैस प्राईवेट लिमिटेड, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद-चन्दौसी मार्ग (एन0 एच0-509) कि0 मी0 चैनेज 34.100 से 41.150 कि0मी0 तक बांयी पटरी एवं कि0मी0 चैनेज 45.600 से 45.750 कि0मी0 तक दांयी पटरी पर 6" Ø स्टील गैस पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु 0.4323 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Pipeline/122517/2021)

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग - 2 लखनऊ की पत्र संख्या पी-162/81-2-2021-800(141)/2021 दिनांक 24.08.2021 के माध्यम से निर्गत की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-17 के अनुपलान में प्रयोक्ता अभिकरण (टोरेन्ट गैस प्राईवेट लिमिटेड, मुरादाबाद) द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि परियोजना में 06 इंच गैस पाईप लाईन बिछाया जाना प्रस्तावित है। अतएव प्रस्तावक द्वारा वन विभाग के पक्ष में एन0पी0वी0 का भुगतान किया जायेगा।


(प्रभाष कुमार),
प्रबन्धक,
टोरेन्ट गैस प्राईवेट लिमिटेड,
मुरादाबाद।

AGENCY COPY



Union Bank
of India




NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 25-10-2021

Agency Name.	TORRENT GAS PRIVATE LTD
Application No.	72122517504
MoEF/SG File No.	P-162/81-2-2021-800(141)/2021
Location.	UTTAR PRADESH
Address.	Torrent Gas Private Ltd, 1st Floor, Pridal Square Building Moradabad
Amount(in Rs)	270620/-

Amount in Words : Two Lakh Seventy Thousand Six Hundred and Twenty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	1509072122517504 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY



Union Bank
of India




NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 25-10-2021

Agency Name.	TORRENT GAS PRIVATE LTD
Application No.	72122517504
MoEF/SG File No.	P-162/81-2-2021-800(141)/2021
Location.	UTTAR PRADESH
Address:	Torrent Gas Private Ltd, 1st Floor, Pridal Square Building Moradabad
Amount(in Rs)	270620/-

Amount in Words : Two Lakh Seventy Thousand Six Hundred and Twenty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	1509072122517504 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to
Email: cb0371@unionbankofindia.com



Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help



Proposals received on or after 15th July 2014

GET LIST

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid / Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UP/Pipeline/122517/2021 (../Viewreport.aspx?pid=FP/UP/Pipeline/122517/2021) Laying of Proposed 6" Dia. Steel pipeline along the Moradabad to Chandausi NH-509 (Ch : 34.100 to 41.150 km) Left Side and (Ch : 45.600 to 45.750 km) Right Side in Sambhal District (U.P)	PIPELINE1225172021504	72122517504	24 Aug 2021	CA: 0/- , Addtl CA: 0/- CAT: 0/- PCA: 0/- , Safety Zone: 0/- , Addtl PA: 0/- NPV: 270620/- 0: 0/- 0: 0/- 0: 0/- Total 270620/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On 25 Oct 2021 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 25 Oct 2021 Transaction Date : 30 Oct 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/221020211630397992_FPUPPipeline1225172021) Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=PIPELINE1225172021)



SHARAT

(HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/)



DO NOT TO PRINT

(WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)



(HTTPS://DATA.GOV.IN/)



(HTTPS://INDIA.GOV.IN/)



(HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)

(HTTP://MEITY.GOV.IN/)



(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/)



(HTTP://WWW.NIC.IN/)

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India
 Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (Privacypolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) |
 Accessibility Statement (Accessibilitystatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in



वचनबद्धता

विषय:- जनपद सम्मेल में टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद-चन्दौसी मार्ग (एन0 एच0-509) कि0 मी0 चैनैज 34.100 से 41.150 कि0मी0 तक बांयी पटरी एवं कि0मी0 चैनैज 45.600 से 45.750 कि0मी0 तक दांयी पटरी पर 6" Ø स्टील गैस पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु 0.4323 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Pipeline/122517/2021)

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग - 2 लखनऊ की पत्र संख्या पी-162/81-2-2021-800(141)/2021 दिनांक 24.08.2021 के माध्यम से निर्गत की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-18 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण (टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड, मुरादाबाद) द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01.2011 (प्रति संलग्न) में अंकित 02 बिन्दुओं में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन से आच्छादित बिन्दु का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा जो इस प्रकार हैं-

(1)सी0एन0जी0/गैस पाइप लाइन बिछाने वाली ऐसी कम्पनियां जो लगातार गैस पाइप लाइन बिछाती है तथा उसका क्षेत्र केवल एक शहर न होकर अंतर्शहरीय शहर से ग्रामीण अंतर्जिला तथा एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश होता है उस कंपनी से पूर्व की भांति प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने की शर्त यथावत लागू रहेगी।

(2)ऐसी कम्पनियों जो लगातार गैस पाइप लाइन के द्वारा केवल शहर में गैस आपूर्ति हेतु गैस पाइप लाइन बिछाती है अर्थात् जिसका दायरा एक शहर होता है उस कंपनी को भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति में वर्णित क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अंतर्गत सामान्यतया दुगने अवनत वन या समतुल्य गैर वनभूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 05 वर्ष तक रखरखाव के लिये राज्य सरकार के द्वारा जारी शासनादेश में भारत सरकार की शर्तों के अतिरिक्त नवीन शर्त के रूप में उल्लेख किया जायेगा। इस धनराशि को प्रथमतया शहरी वृक्षारोपण में व्यय किया जायेगा।


(प्रभाष कुमार)
प्रबन्धक,
टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड,
मुरादाबाद।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

पत्रांक- 8/4 / 14 -1(कैम्प चन्दौसी) दिनांक 23/10/ 2021।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :- उ०प्र० शासन के निर्देशानुसार गैस पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु शर्त के कम में 20 किमी० तीन लाईनों में वृक्षारोपण कराये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 784/11-सी लखनऊ दिनांक 07.09.2021।
महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि अधिशासी निदेशक, टोरेन्ट गैस (टी०जी०पी०एल०/टी०जी०एम०एल०) लखनऊ द्वारा अपने कार्यालय के Ref No:- TGPL/TGML/FOR/LKO/2021/46 दिनांक 22.10.2021 के माध्यम से सम्भल वन प्रभाग, सम्भल के अन्तर्गत 20 किमी० तीन लाईनों में वृक्षारोपण कराये जाने हेतु प्राक्कलन की वॉच्छित धनराशि रुपये 8241000.00(रुपये बयासी लाख इकतालीस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट संख्या 007060 दिनांक 22.10.2021 इस कार्यालय को उपलब्ध करा दिया गया है।

अतः रिपोर्ट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,

सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

संख्या- 8/4 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि- वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- अधिशासी निदेशक, टोरेन्ट गैस (टी०जी०पी०एल०/टी०जी०एम०एल०) साईबर हाईट विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रबन्धक, टोरेन्ट गैस (टी०जी०पी०एल०/टी०जी०एम०एल०) मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अरविन्द कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,

सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।



वचनबद्धता

विषय:- जनपद सम्भल में टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद-चन्द्रौसी मार्ग (एन0 एच0-509) कि0 मी0 चैनेज 34.100 से 41.150 कि0मी0 तक बांयी पटरी एवं कि0मी0 चैनेज 45.600 से 45.750 कि0मी0 तक दांयी पटरी पर 6" Ø स्टील गैस पाइप लाईन बिछाये जाने हेतु 0.4323 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Pipeline/122517/2021)

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग - 2 लखनऊ की पत्र संख्या पी-162/81-2-2021-800(141)/2021 दिनांक 24.08.2021 के माध्यम से निर्गत की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-19 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण (टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड, मुरादाबाद) द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

(1) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि सैद्धान्तिक स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के पास गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु वैध व अधिकृत लाईसेन्स हो तथा इस कार्य कि लिये उन्हें सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त हो। उक्त शर्तों के अनुपालन के पश्चात् ही विधिवत् स्वीकृति प्रदान किया जायेगा। प्रश्नगत आदेश मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।


(प्रभाष कुमार)
प्रबन्धक,
टोरेन्ट गैस प्राइवेट लिमिटेड,
मुरादाबाद।